राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, मध्य प्रदेश

के अंतर्गत संचालित

राष्ट्रीय दृष्टिविहीनता नियंत्रण कार्यक्रम

के अंतर्गत स्वीकृत संविदा जिला स्तरीय पदों की

एम.पी.ऑनलाईन लिमिटेड

के माध्यम से भर्ती हेतु

नियम पुस्तिका

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

वर्ष 2013–14

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, मध्य प्रदेश

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संचालित राष्ट्रीय दृष्टिविहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत स्वीकृत संविदा पदों पर भर्ती के लिए एम.पी.ऑनलाईन लिमिटेड के माध्यम से योग्य अभ्यर्थियों से ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

1. **संविदा पद का विवरण :–**

क्र.	संविदा पद का नाम	स्वीकृत रिक्त संविदा पद संख्या
1	नेत्र सर्जन **(Ophthalmic Surgeons)**	10
2	नेत्र सहायक **(Paramedical Ophthamic Assistants)**	20
3	नेत्र दान सलाहकार **(Eye Donation Counselors)**	7
4	डाटा एण्ट्री ऑपरेटर **(Data Entry Operators)**	50

2. रिक्त पदों के लिए आरक्षण विवरण निम्नानुसार होगाः–

संविदा पद का नाम	कुल स्वीकृत पद	सामान्य		अनुसूचित जनजाति (20%)		अनुसूचित जाति (16%)		अन्य पिछड़ा वर्ग (14%)		विकलांग (अस्थिबाधित – 40% से अधिक) (2%)	योग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	
नेत्र सर्जन **(Ophthalmic Surgeons)**	10	3	2	1	1	2	1	–	–	–	10
नेत्र सहायक **(Ophthalmic Assistants)**	20	7	3	3	1	2	1	2	1	–	20
नेत्र दान सलाहकार **(Eye Donation Counselors)**	7	3	1	1	–	1	–	1	–	–	7
डाटा एण्ट्री ऑपरेटर **(Data Entry Operators)**	50	16	8	7	3	6	2	5	2	1	50

3. चयन प्रक्रिया –

3.1 उपरोक्त दर्शाये पदों हेतु वांछित शैक्षणिक योग्यता निम्नानुसार हैः–

क्र.	संविदा केडर	अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता
1.	नेत्र सर्जन **(Ophthalmic Surgeons)**	• MS/MD in Ophthalmology (MCI recognized) with at least 1 year of experience after PG degree has been obtained. • D.O.M.S (MCI recognized) with 2 years experience after PG degree has been obtained.with at least 1 year of experience after PG degree has been obtained.
		वांछनीय
		• Trained in performing ECCE pc IOL and SICS. • Experience and the ability to work in district level hospitals.
2	नेत्र सहायक **(Paramedical Ophthamic Assistants)**	**अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता**
		• Graduate degree in Sociology/Social Work/Arts/Science recognized by respective university.
		वांछनीय
		• Excellent Communication Skills. • Familiarity with Computer and Internet use. • Experience in Health Communication and/or councelling.
3	नेत्र दान सलाहकार **(Eye Donation Counselors)**	**अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता**
		• Two years Diploma course in Optometry or trained as a Ophthalmic assistant in any of the recognized Government Hospitals as per guidelines of NPCB.
		वांछनीय
		• Familiarity with computer and internet use.
4	डाटा एण्ट्री ऑपरेटर **(Data Entry Operators)**	• Graduate in any Discipline. • Minimum 1 year diploma in Computer Application.

4. एम.पी.ऑनलाईन लिमिटेड द्वारा ऑनलाईन आवेदन प्राप्त किये जायेंगे एवं **परिशिष्ट 1–4** पर दर्शाये 100 अंकों के स्कोरिंग प्रपत्र अनुरूप आवेदनों की शॉर्ट लिस्टिंग की जायेगी।

5. दस्तावेज परीक्षण में उपयुक्त पाये गये राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, म.प्र. द्वारा **परिशिष्ट 1–3** शॉर्ट लिस्टिड आवेदकों का विभागीय साक्षात्कार किया जायेगा।

5.1 साक्षात्कार हेतु 10 अंक निहित है जिसमें अंको का विभाजन निम्नानुसार किया जायेगा :–

S.No	Description	Alloted Marks
1	Subject Specific Knowledge	2
2	Awareness regarding Public Health Issues, especially regarding Control of Blindness in MP context.	2
3	Comprehension of NPCB scenario in MP	2
4	Communication and Presentation skills	2
5	Relevant Experience and Trainings	2

5.2 साक्षात्कार उपरांत आरक्षण विवरण अनुसार वरीयता सूची एवं प्रतीक्षा सूची, एम.पी.ऑनलाईन लिमिटेड द्वारा तैयार की जायेगी।

5.3 वरीयता निर्धारण हेतु 2 दशमलव तक के अंकों को विवेचना में लिया जायेगा।

5.4 वरीयता सूची में 2 या अधिक अभ्यर्थियों द्वारा समतुल्य अंक प्राप्त किये जाने की स्थिति में जन्म तिथि के आधार पर वरिष्ठ अभ्यर्थी को विवेचना में लिया जायेगा।

5.5 जन्म तिथी भी एकरूप होने की स्थिति में शैक्षणिक योग्यता में प्राप्तांकों के आधार पर वरीयता प्राप्त अभियर्थी को विवेचना मे लिया जायेगा।

6 राष्ट्रीय दृष्टिविहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत स्वीकृत डेटा एन्ट्री ऑपरेटर हेतु एम.पी. ऑनलाईन लिमिटेड द्वारा ऑनलाईन परीक्षा एवं कम्प्यूटर टाइपिंग (हिन्दी एवं अंग्रेजी) परीक्षा का आयोजन किया जायेगा।

6.1 ऑनलाईन काउंसलिंग के दौरान जिलों के चयन हेतु अभ्यर्थी द्वारा स्वेच्छा अनुसार किसी भी जिले का चयन अथवा पदस्थापना हेतु समस्त 50 जिलों का भी विकल्प दिया जा सकेगा।

6.2 पदस्थापना हेतु जिलों के चयन के लिए अभ्यर्थियों का एम.पी.ऑनलाईन लिमिटेड द्वारा ऑनलाईन काउंसलिंग की जायेगी। इस हेतु आरक्षण को भी दृष्टिगत रखा जायेगा।

6.3 प्रथम ऑनलाईन काउंसलिंग के उपरांत जिलों में चयनित अभ्यर्थी के निर्धारित अवधि में उपस्थित न होने की स्थिति में रिक्त पद हेतु एम.पी.ऑनलाईन लिमिटेड द्वारा एक माह के उपरांत पुनः द्वितीय ऑनलाईन काउंसलिंग का आयोजन किया जायेगा।

6.4 द्वितीय ऑनलाईन काउंसलिंग के पूर्व रिक्त पदों की जानकारी राज्य स्तर पर संकलित कर मिशन द्वारा एम.पी.ऑनलाईन लिमिटेड को उपलब्ध करायी जायेगी।

6.5 द्वितीय ऑनलाईन काउंसलिंग के पश्चात अंतिम वरीयता सूची, दर्शाये क्षैतिज व प्रभागवार आरक्षण (Horizontal and Compartmentalized Reservation) अनुसार एम.पी.ऑनलाईन लिमिटेड द्वारा जिलेवार/वर्गवार वरीयता सूची एवं 1:3 के अनुपात में प्रतीक्षा सूची तैयार की जायेगी।

6.6 ऑनलाईन परीक्षा एवं कम्प्यूटर टाईपिंग (हिन्दी एवं अंग्रेजी) परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों को एम. पीऑनलाईन लिमिटेड द्वारा निर्धारित केन्द्रों पर उपस्थित होना होगा, जिसके लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

6.7 डेटा एन्ट्री ऑपरेटर हेतु एम.पी.ऑनलाईन द्वारा परिशिष्ट–4 में दर्शायी गई न्यूनतम अनिवार्य योग्यता एवं वांछनीय योग्यता आधारित 100 अंकों के स्कोरिंग प्रपत्र अनुसार आवेदकों की वरीयता सूची तैयार की जावेगी।

6.8 डेटा एन्ट्री ऑपरेटर के पद के लिए एकल ऑनलाईन परीक्षा आयोजित की जायेगी, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जायेंगे।

6.9 प्रश्न पत्र कुल 100 अंको का होगा एवं हल करने की अवधि 90 मिनिट होगी।

6.10 डेटा एन्ट्री ऑपरेटर के ऑनलाईन परीक्षा हेतु प्रश्नों का प्रावधिक प्रतिशत निम्नानुसार होगाः–

पद का नाम	क्र.	ऑनलाईन प्रश्न पत्र हेतु विभिन्न विषय	प्रश्नों का प्रावधिक प्रतिशत (%)
डेटा एन्ट्री ऑपरेटर	1	कम्प्यूटर ज्ञान	25
	2	हिन्दी एवं अंग्रेजी कम्प्यूटर टाईपिंग ज्ञान एवं कॉम्प्रीहेन्शन	20
	3	सामान्य जागरूकता	20
	4	प्रारंभिक गणित	20
	5	तर्क शक्ति	15

6.11 प्रश्नों का उपरोक्त विभाजन प्रावधिक है, जिसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन विभागीय सहमति से किया जा सकेगा।

6.12 इस हेतु ऑनलाईन परीक्षा के आधार पर तैयार की गई मूल्यांकन सूची में से शीर्ष (50X5) कुल 250 अभ्यर्थियों को हिन्दी एवं अंग्रेजी कम्प्यूटर टाईपिंग परीक्षा में सम्मिलित किया जायेगा।

7- अभ्यार्थियों द्वारा भरे गये जिलों की प्राथमिकता, ऑनलाईन परीक्षा एवं कम्प्यूटर टाईपिंग (हिन्दी एवं अंग्रेजी) परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर एम0पी0 ऑनलाईन लिमिटेड द्वारा ऑनलाईन काउन्सिलिंग की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी।

8. पदस्थापना हेतु जिलों के आवंटन के लिए अभ्यर्थियों का एम.पी.ऑनलाईन लिमिटेड द्वारा ऑनलाईन काउंसलिंग की जायेगी।

9. ऑनलाईन काउंसलिंग के पश्चात अंतिम वरीयता सूची, दर्शाये क्षैतिज व प्रभागवार आरक्षण (Horizontal and Compartmentalized Reservation) अनुसार एम.पी.ऑनलाईन लिमिटेड द्वारा जिलेवार 1:5 के अनुपात में प्रतीक्षा सूची तैयार की जायेगी।

10. वरीयता सूची एवं प्रतीक्षा सूची के संबंध में चयनित आवेदकों को एम.पी. ऑनलाईन लिमिटेड द्वारा एस.एम.एस. तथा ई–मेल से सूचित किया जायेगा। अतः आवेदकों को अपना सही मोबाईल नम्बर तथा ई–मेल आई.डी. की जानकारी ऑनलाईन आवेदन पत्र में अंकित करना अनिवार्य होगा।

11. एम.पी.ऑनलाईन लिमिटेड द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूची प्रावधिक है जिसे दस्तावेज परीक्षण में अभ्यर्थी द्वारा .ऑनलाईन आवेदन में भरी गई व्यक्तिगत जानकारी के सही पाये जाने पर ही अंतिम माना जायेगा।

12. नियुक्ति पूर्व चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज़ों का प्रमाणीकरण जिला स्तरीय पदों हेतु जिला स्वास्थ्य समिति के अधिकृत अधिकारियों द्वारा किया जायेगा।

13. नियुक्ति पूर्व अभ्यर्थियों को राजपत्रित अधिकारी द्वारा निम्न दस्तावेज़ की सत्यापित छायाप्रति प्रस्तुत करने होंगें एवं मूल दस्तावेज़ भी प्रमाणीकरण हेतु प्रस्तुत करने होंगेः–

- हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा (10+2) की अंकसूची
- मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / बोर्ड से प्राप्त स्नातक / स्नातकोत्तर उपाधि / प्रमाण पत्र
- सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध जाति प्रमाण पत्र
- राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र

- कार्यानुभव हेतु शासकीय संस्थान/गैर शासकीय संस्थान/परियोजना द्वारा जारी वेतन/मानदेय पत्रक, टी.डी.एस./ई.पी.एफ. कटौत्रा संबंधी दस्तावेज़ अथवा मानदेय प्राप्ति के संबंध बैंक स्टेटमेंट।

14. **उपरोक्त समस्त दस्तावेज़ प्रस्तुत न करने एवं परीक्षण के दौरान अथवा नियुक्ति उपरांत भी दस्तावेज़ों के असत्य पाये जाने पर अभ्यर्थी की उम्मीदवारी अमान्य की जा सकेगी।**

15. दस्तावेज़ परीक्षण के उपरांत समस्त अर्हतायें सही पाये जाने पर समस्त संविदा कर्मचारियों की पदस्थापना एवं नियुक्ति आदेश आवंटित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जारी की जावेगी।

16. नियुक्ति पश्चात् चयनित संविदा अभ्यर्थी द्वारा मेडिकल फिटनेस हेतु स्वयं के व्यय पर जिला चिकित्सकीय बोर्ड का चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। चिकित्सा बोर्ड द्वारा किये गये चिकित्सकीय परीक्षण में उपयुक्त पाये जाने पर ही संविदा वैध होगी।

17. निर्हतायें:—

17.1 उम्मीदवारी में सहायता प्राप्त करने हेतु किसी भी स्त्रोत से किया गया कोई भी प्रयास अभ्यर्थी के लिए अनर्हकारी माना जायेगा।

17.2 **कूटरचित अभिलेख**/फर्जी दस्तावेज़ प्रस्तुत करने एवं चयन के समय जानकारी छिपाने पर।

17.3 **कदाचरण संबंधी** — शासन या स्थानीय प्राधिकारी की सेवा में कदाचरण के परिणामस्वरूप पदच्युत अथवा नैतिक पतन के दण्डित कर्मचारी को संविदा पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा। नियुक्ति उपरांत भी इस संबंध में जानकारी प्राप्त होने पर तत्काल संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।

17.4 ऐसे अभ्यर्थी जिनके विरूद्ध **अपराधिक प्रकरण** दर्ज हों अथवा किसी अपराधिक मामले में दोषी पाया गया हो, को संविदा पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा। नियुक्ति उपरांत भी इस संबंध में जानकारी प्राप्त होने पर तत्काल संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।

17.5 ऐसे अभ्यर्थी जिनके **दो से अधिक संतान** हों, जिसमें से एक का जन्म दिनांक 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात हुआ हो, उन्हे संविदात्मक नियुक्ति के लिए पात्रता नहीं होगी। परन्तु निरर्हित नहीं होगा यदि एक संतान के जीवित रहते आगामी प्रसव में दो या दो से अधिक संतानों का जन्म हो।

17.6 **विवाह संबंधी** — ऐसे अभ्यर्थी जिनका विवाह नियत की गई न्यूनतम आयु अर्थात पुरूष वर्ग के लिए 21 वर्ष एवं महिला वर्ग के लिए 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने से पहले हुई हो, उन्हे संविदा नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी।

17.7 **वरीयता सूची एवं अंतिम सूची की वैधता** — वरीयता सूची एवं अंतिम सूची की वैधता सूची जारी करने की दिनांक से 1 वर्ष के लिए होगी।

18. संविदा अवधि एवं संविदा नियम —

18.1 उपरोक्त संविदा पदों पर नियुक्ति, नियुक्ति आदेश दिनांक से दिनांक 31 मार्च, 2014 तक के लिए होगी। उक्त अवधि के पश्चात कर्मचारी के कार्य आधाारित मूल्यांकन में योग्य पाये जाने पर नियुक्ति अवधि को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, म.प्र. द्वारा स्वीकृत अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा।

18.2 संविदा नियुक्ति के आधार पर नियमितीकरण संबंधी कोई मांग या दावे स्वीकार्य नहीं होंगे।

18.3 संविदा नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात किसी भी प्रकार का स्थानांतरण का प्रावधान नहीं होगा, परन्तु प्रशासकीय आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये युक्तियुक्तकरण के तहत पदस्थापना स्थल के परिवर्तन हेतु कार्यवाही की जा सकेगी।

18.4 उपरोक्त पदों पर आवेदन के लिए नवीन अभ्यर्थियों हेतु संविदा नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष होगी। आयु की गणना दिनांक 1 जनवरी, 2013 से की जावेगी।

18.5 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी के उम्मीदवारों को उपरोक्त आयु–सीमा में अधिकतम 5 वर्ष की छूट दी जायेगी। अनारक्षित महिला तथा आरक्षित समस्त संवर्गो हेतु आवेदन के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष होगी।

18.6 संविदा कर्मचारी के लिए यह अनिवार्य होगा कि नियुक्ति आदेश जारी होने के 15 दिवस के अंदर नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करें। इस अवधि में कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जायेगी। यदि किसी न्यायोचित कारणवश निर्धारित अवधि में पदभार ग्रहण करने में विलंब होता है तो संविदा कर्मचारी द्वारा नियुक्तिकर्ता अधिकारी से लिखित में अनुमति प्राप्त करनी होगी।

18.7 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं संविदा कर्मचारी के मध्य नियोक्ता–कर्मचारी के संबंध होंगे। संविदा कर्मचारी निर्धारित सेवायें प्रदान करने के बदले में निर्धारित एकमुश्त मानदेय राशि प्राप्त करेंगे। किसी भी स्थिति में उन्हें शासकीय सेवा की पात्रता हासिल नहीं होगी।

18.8 नियुक्ति उपरांत संविदा कर्मचारीको उनके नियुक्ति स्थान पर निवास करना अनिवार्य होगा।

18.9 संविदा कर्मचारी को शासन के समस्त राष्ट्रीय कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लेना होगा। ऐसे कार्यक्रमों में भाग नहीं लेना कदाचार माना जायेगा।

18.10 संविदा कर्मचारी द्वारा नियुक्ति उपरांत कदाचरण करने अथवा किसी अपराधिक कृत्य में लिप्त होने पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सुनवाई हेतु युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात दोषी पाये जाने पर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।

18.11 जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा परिस्थितिजन्य कारणों से संविदा नियुक्ति एक माह की पूर्व सूचना अथवा एक माह के संविदा मानदेय की समतुल्य राशि का भुगतान कर समाप्त की जा सकेगी।

18.12 संविदा कर्मचारी द्वारा किसी कारणवश यदि संविदा अवधि के दौरान त्यागपत्र दिया जाना हो तो पदस्थापना जिले के जिला स्वास्थ्य समिति को एक माह की पूर्व सूचना अथवा उक्त समिति के खाते में एक माह के संविदा मानदेय की समतुल्य राशि जमा करना होगी।

19. **मासिक मानदेय :–**

19.1 राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, म.प्र. के अंतर्गत नियुक्त संविदा कर्मचारी को **परिशिष्ट - 5** पर

दर्शायें गये अनुसार प्रतिमाह एकमुश्त मासिक मानदेय राशि का ई–भुगतान किया जायेगा।

19.2 **महंगाई एवं अन्य भत्ते** – गृह भाड़ा भत्ता, चिकित्सा भत्ता, वाहन भत्ता आदि की पात्रता नहीं होगी।

20. **टी.डी.एस. कटौत्रा** – संविदा कर्मचारी की मासिक मानदेय राशि में से प्रतिमाह टी.डी.एस. कटौत्रा किया जायेगा।

21. **ई.पी.एफ. कटौत्रा** – ई.पी.एफ. कटौत्रे के संबंध में ई.पी.एफ. एण्ड मिसलेनियस प्रोविशन्स एक्ट,1952 (Employee Provident Fund and Miscelleneous Provisions Act, 1952) के प्रावधान लागू होंगे। कटौत्रा भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने पर निर्धारित दिनांक से देय होगा।

22. अवकाश –

22.1 **आकस्मिक अवकाश** – संविदा पर नियुक्त कर्मचारीको नियमानुसार एक वर्ष की अवधि में 13 दिन के आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी।

22.2 किसी भी एक समय पर 3 दिवसों से अधिक कार्य दिवस हेतु निरंतर आकस्मिक अवकाश की पात्रता नहीं होगी। 3 दिवसों से अधिक कार्य दिवस हेतु लिये गये निरंतर अवकाश अवधि को अवैतनिक किया जायेगा।

22.3 एक माह में अधिकतम 3 दिवस के अवकाश की पात्रता होगी।

22.4 मुख्यालय छोड़ने की स्थिति में संविदा कर्मचारी द्वारा लिखित में आवेदन प्रस्तुत कर पूर्वानुमति सक्षम अधिकारी से प्राप्त की जाना होगी।

22.5 कार्य सुविधा की दृष्टि से निर्देशानुसार शासकीय अवकाश दिवसों पर भी आवश्यकता पड़ने पर संविदा कर्मचारी को उपस्थित होना पड़ेगा।

22.6 **चिकित्सा अवकाश** – संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को नियमानुसार 1 वर्ष में अधिकतम 15 दिवस की चिकित्सा अवकाश की पात्रता होगी।

22.7 3 दिवस से अधिक चिकित्सा अवकाश हेतु राजपत्रित चिकित्सा अधिकारी का चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

22.8 7 दिवस से अधिक चिकित्सा अवकाश हेतु जिला चिकित्सा बोर्ड का चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

22.9 चिकित्सा अवकाश न लिये जाने की स्थिति में इसे आगामी वर्ष में अग्रणित नहीं किया जायेगा।

22.10 पुरूष संविदा कर्मचारीको 15 दिवस के पितृत्व अवकाश की पात्रता होगी। यह अवकाश अवधि निर्धारित आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त होगी।

22.11 पितृत्व अवकाश प्रथम दो जीवित संतानों तक ही देय होगा।

22.12 पितृत्व अवकाश स्वीकृत करने का अधिकार जिला स्वास्थ्य समिति की ओर से पदस्थापना जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को को होगा।

23. अनुबंध –

23.1 संविदा कर्मचारी द्वारा आदेश प्राप्त होने के पश्चात नियुक्ति प्राधिकारी के साथ राशि `100/– के गैर न्यायिक बंध पत्र पर अनुबंध निष्पादित किया जाना होगा।

23.2 जिला स्तरीय पदों हेतु अनुबंध क्रमशः मिशन संचालक, एन.आर.एच.एम. द्वारा अधिकृत अधिकारी/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के मध्य निष्पादित किया जायेगा।

23.3 अनुबंध के निष्पादन पर होने वाला व्यय चयनित अभ्यर्थी द्वारा वहन किया जायेगा।

23.4 चयनित अभ्यर्थी को उसकी पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से संविदा सेवा में माना जायेगा।

23.5 संविदा अवधि की समाप्ति पर कार्य आधारित मूल्यांकन के आधार पर योग्य पाये जाने पर संविदा अवधि की वृद्धि निर्धारित अवधि हेतु की जा सकेगी। इस हेतु अनुबंध का नवीनीकरण किया जाना आवश्यक होगा। संविदा अवधि के नवीनीकरण के समय संविदा कर्मचारीको राशि `100/– के गैर न्यायिक बंध पत्र पर पुनः अनुबंध निष्पादित करना होगा।

23.6 अनुबंध अवधि में दी गई सेवाओं के लिए कोई पेंशन, ग्रेज्यूटी, बोनस, अन्य किसी भी प्रकार के स्वत्वों अथवा नियमित शासकीय सेवा के दावे आदि की पात्रता नहीं होगी।

23.7 अनुबंध के आधार पर सेवा में नियमितीकरण का कोई अधिकार नहीं होगा।

24. अन्य नियम –

24.1 संविदा नियुक्ति पर नियुक्त कर्मचारी बिना सक्षम अधिकारी के पूर्वानुमति/निर्देश के कोई भी सूचना/जानकारी किसी अन्य व्यक्ति अथवा अन्य विभाग को किसी भी माध्यम से नहीं देगा तथा कार्यालयीन गोपनीयता भंग नहीं करेगा।

24.2 संविदा सेवा अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के अन्य संस्थानों/कार्यालयों में कार्य करने अथवा व्यक्तिगत तौर पर किसी भी प्रकार के व्यापार/व्यवसाय करना प्रतिबंधित होगा।

24.3 संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को समय–समय पर सौंपे गये अन्य समस्त कार्यालयीन कार्य भी संपादित करने होंगे।

24.4 नियुक्ति उपरांत नियुक्त कर्मचारी द्वारा कदाचार या किसी अपराधिक क्रिया कलाप में लिप्त होने पर नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी द्वारा उक्त कर्मचारी की संविदा नियुक्ति बिना पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकेगी।

24.5 यदि संविदा पर नियुक्त कोई कर्मचारी बिना किसी विशिष्ट कारण के और बिना किसी सूचना के अपने कर्तव्य से एक माह के लिए अनुपस्थित रहता है तो उसकी संविदा नियुक्ति ऐसी अनुपस्थिति की तिथि से स्वतः समाप्त मानी जायेगी।

24.6 संविदा कर्मचारी की नियुक्ति अथवा संविदा अवधि में किसी भी प्रकार की विवाद की दशा में जिला स्थित न्यायालय की अधिकारिता होगी।

24.7 नियुक्ति उपरांत किसी भी समय पर संविदा कर्मचारी द्वारा वित्तीय अनियमितता में दोष सिद्ध होने की स्थिति में उक्त राशि की वसूली हेतु नियमानुसार आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जायेगा एवं विधि सम्मत कार्यवाही की जायेगी।

24.8 **संविदा पद हेतु प्रदर्शित पद संख्या परिवर्तनशील है, जिसे भारत सरकार से प्राप्त स्वीकृत अनुसार घटाया अथवा बढ़ाया जा सकता है।**

24.9 **ऑनलाइन आवेदन में व्यक्तिगत जानकारी में किसी भी प्रकार की त्रुटि हेतु अभ्यर्थी स्वंय उत्तरदायी होगा। त्रुटि सुधार हेतु कोई अभ्यावेदन विभाग द्वारा स्वीकार नही किया जायेगा। उपरोक्त के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि त्रुटिवश जिलो के चयन/लिंग/जाति/विकलांग श्रेणी के संबंध में गलत अंकन के फलस्वरुप यदि अभ्यर्थी चयनित होता है तो दस्तावेज परीक्षण उपरांत उसकी उम्मीदवारी निरस्त की जायेगी। इस संबंध में कोई दावे स्वीकार्य नही होगें।**

24.10 **नियुक्ति आदेश में पदस्थल आवंटन उपरांत, कोई भी आवेदन स्थानांतरण/आपसी स्थानांतरण/पदस्थल परिवर्तन संबंधी कोई भी आवेदन विभाग द्वारा स्वीकार नहीं किये जायेंगे।**

संविदा नेत्र सर्जन राष्ट्रीय दृष्टिविहीनता नियंत्रण कार्यक्रम, म.प्र. के संविदा पद हेतु चयन मापदण्ड

कुल अंक – 100

क्र.	अनिवार्य योग्यता	शैक्षणिक योग्यता	अंको का कुल वेटेज	मेरिट निर्धारण हेतु मापदण्ड
1	किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से न्यूनतम 50% अंको के साथ उत्तीर्ण होना।	अनिवार्य :– • MS/MD in Ophthalmology (MCI recognized) • D.O.M.S (MCI recognized) वांछनीय • Trained in performing ECCE pc IOL and SICS.	50 20	**1.** अनिवार्य शैक्षणिक योग्यताधारी में प्राप्तांको को 50 प्रतिशत वेटेज दिया जाए। **2.** दर्शाये वांछनीय शैक्षणिक योग्यताधारी को अतिरिक्त 20 अंक का वेटेज दिया जाए। **3.** वरीयता निर्धारण हेतु 2 दशमलव तक के अंकों को विवेचना में लिया जाए। **4.** वरीयता सूची में 2 या अधिक अभ्यर्थियों द्वारा समतुल्य अंक प्राप्त किये जाने स्थिति में अधिक उम्र के अभ्यर्थी को विवेचना में लिया जाए। **5.** उदाहरणार्थ – • यदि MS/MD in Ophthalmology योग्यता धारी आवेदक के 50% अंक हैं तो 50 x 50% =25 अंक प्राप्त होंगे।
	अधिकतम प्राप्तांक		**70**	
2	पूर्व अनुभव • At least 1 year of experience after PG Degree (Post MS/MD in Ophthalmology) • 2 years experience after PG degree (Post DOMS)	5 वर्ष अथवा अधिक	20	20 अंक
		3 वर्ष अथवा अधिक		15 अंक
		2 वर्ष अथवा अधिक		10 अंक
	अधिकतम प्राप्तांक		**20**	
3	विभागीय साक्षात्कार		10	10 अंक

* अनुभव मान्य किये जाने हेतु शासकीय संस्थान/परियोजना द्वारा जारी वेतन/मानदेय पत्रक, टी.डी.एस. कटौत्रा/मानदेय वाउचर की छायाप्रति संबंधी दस्तावेज़ अथवा मानदेय प्राप्ति के संबंध में न्यूनतम 6 माह की बैंक स्टेटमेंट की छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

संविदा नेत्र सहायक राष्ट्रीय दृष्टिविहीनता नियंत्रण कार्यक्रम, म.प्र.
के संविदा पद हेतु चयन मापदण्ड
कुल अंक – 100

क्र.	अनिवार्य योग्यता	शैक्षणिक योग्यता	अंको का कुल वेटेज	मेरिट निर्धारण हेतु मापदण्ड
1	किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से न्यूनतम 50% अंको के साथ उत्तीर्ण होना।	अनिवार्य :– • Graduate degree in Sociology/Social Work/Arts/Science recognized by respective university	70	**1.** अनिवार्य शैक्षणिक योग्यताधारी में प्राप्तांको को 70 प्रतिशत वेटेज दिया जाए। **2.** वरीयता निर्धारण हेतु 2 दशमलव तक के अंकों को विवेचना में लिया जाए। **3.** वरीयता सूची में 2 या अधिक अभ्यर्थियों द्वारा समतुल्य अंक प्राप्त किये जाने स्थिति में अधिक उम्र के अभ्यर्थी को विवेचना में लिया जाए। **4.** उदाहरणार्थ – • यदि **PG Degree in Zoology** • योग्यता धारी आवेदक के 50% अंक हैं तो 50 x 70% = 35 अंक प्राप्त होंगे।
	अधिकतम प्राप्तांक		**70**	
2	**पूर्व अनुभव** 1 year Experience in Health Communication and/or councelling.	5 वर्ष अथवा अधिक	20	20 अंक
		3 वर्ष अथवा अधिक		15 अंक
		1 वर्ष अथवा अधिक		10 अंक
	अधिकतम प्राप्तांक		**20**	
3	विभागीय साक्षात्कार		**10**	10 अंक

* अनुभव मान्य किये जाने हेतु शासकीय संस्थान/परियोजना द्वारा जारी वेतन/मानदेय पत्रक, टी.डी.एस. कटौत्रा/मानदेय वाउचर की छायाप्रति संबंधी दस्तावेज़ अथवा मानदेय प्राप्ति के संबंध में न्यूनतम 6 माह की बैंक स्टेटमेंट की छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

संविदा नेत्र दान सलाहकार राष्ट्रीय दृष्टिविहीनता नियंत्रण कार्यक्रम, म.प्र. के संविदा पद हेतु चयन मापदण्ड

कुल अंक – 100

क्र.	अनिवार्य योग्यता	शैक्षणिक योग्यता	अंको का कुल वेटेज	मेरिट निर्धारण हेतु मापदण्ड
1	किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से न्यूनतम 50% अंको के साथ उत्तीर्ण होना।	अनिवार्य :– • Two years Diploma course in Optometry or trained as a Ophthalmic assistant in any of the recognized Government Hospitals as per guidelines of NPCB.	70	**1.** अनिवार्य शैक्षणिक योग्यताधारी में प्राप्तांको को 70 प्रतिशत वेटेज दिया जाए। **2.** वरीयता निर्धारण हेतु 2 दशमलव तक के अंकों को विवेचना में लिया जाए। **3.** वरीयता सूची में 2 या अधिक अभ्यर्थियों द्वारा समतुल्य अंक प्राप्त किये जाने स्थिति में अधिक उम्र के अभ्यर्थी को विवेचना में लिया जाए। **4.** उदाहरणार्थ – • यदि **PG Degree in Zoology** • योग्यता धारी आवेदक के 50% अंक हैं तो 50 x 70% = 35 अंक प्राप्त होंगे।
	अधिकतम प्राप्तांक		**70**	
2	पूर्व अनुभव **1 Year Experinece in related field.**	5 वर्ष अथवा अधिक	20	20 अंक
		3 वर्ष अथवा अधिक		15 अंक
		1 वर्ष अथवा अधिक		10 अंक
	अधिकतम प्राप्तांक		**20**	
3	विभागीय साक्षात्कार		**10**	10 अंक

* अनुभव मान्य किये जाने हेतु शासकीय संस्थान/परियोजना द्वारा जारी वेतन/मानदेय पत्रक, टी.डी.एस. कटौत्रा/मानदेय वाउचर की छायाप्रति संबंधी दस्तावेज़ अथवा मानदेय प्राप्ति के संबंध में न्यूनतम 6 माह की बैंक स्टेटमेंट की छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

संविदा डाटा एण्ट्री ऑपरेटर राष्ट्रीय दृष्टिविहीनता नियंत्रण कार्यक्रम, म.प्र. के संविदा पद हेतु चयन मापदण्ड

कुल अंक – 100

<table>
<tr><th>क्र.</th><th>अनिवार्य योग्यता</th><th>शैक्षिनिक योग्यता</th><th>अंको का कुल वेटेज</th><th>मेरिट निर्धारण हेतु मापदंड</th></tr>
<tr><td rowspan="2">1</td><td rowspan="2">किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से न्यूनतम 50% अंको के साथ उत्तीर्ण होना।</td><td>अनिवार्य</td><td rowspan="2">60</td><td rowspan="2">वेटेज का निर्धारण Online Assessment में प्राप्त प्रतिशत के आधार पर किया जाएगा।</td></tr>
<tr><td>• Graduate in any Discipline.
• Minimum 1 Year Diploma in Computer Application.</td></tr>
<tr><td colspan="4">अधिकतम प्राप्तांक</td><td>60</td></tr>
<tr><td colspan="2">वांछनीय योग्यता</td><td>योग्यता</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">3</td><td rowspan="3">लोक शिक्षण संचानलय शीघ्रलेखन मुद्रलेखन परिक्षा म.प्र. (स्कूल शिक्षा विभाग) से (हिन्दी एवं अंग्रेजी टायपिंग) परीक्षा में उत्तीर्ण होना</td><td>हिन्दी टाइपिंग–न्यूनतम 40 शब्द प्रति मिनिट या अधिक एंव
अंग्रेजी टाइपिंग–न्यूनतम 35 शब्द प्रति मिनिट या अधिक</td><td rowspan="3">20</td><td>20 अंक</td></tr>
<tr><td>हिन्दी टाइपिंग–न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनिट या अधिक</td><td>15 अंक</td></tr>
<tr><td>अंग्रेजी टाइपिंग–न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनिट या अधिक</td><td>10 अंक</td></tr>
<tr><td colspan="4">अधिकतम प्राप्तांक</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">4</td><td rowspan="3">पूर्व अनुभव</td><td>5 वर्ष या अधिक</td><td rowspan="3">20</td><td>20 अंक</td></tr>
<tr><td>3 वर्ष या अधिक</td><td>15 अंक</td></tr>
<tr><td>2 वर्ष या अधिक</td><td>10 अंक</td></tr>
<tr><td colspan="4">अधिकतम प्राप्तांक</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="4">कुल योग</td><td>100</td></tr>
<tr><td colspan="5">* अनुभव मान्य किये जाने हेतु शासकीय संस्थान/परियोजना द्वारा जारी वेतन/मानदेय पत्रक, टी.डी.एस. कटौत्रा/मानदेय वाउचर की छायाप्रति संबंधी दस्तावेज़ अथवा मानदेय प्राप्ति के संबंध में न्यूनतम 6 माह की बैंक स्टेटमेंट की छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।</td></tr>
</table>

परिशिष्ट–5

संविदा नेत्र सर्जन के रिक्त स्वीकृत पदों का जिलेवार विवरण

सं.क्र.	जिला	रिक्त पद संख्या
1	बड़वानी	2
2	अनूपपुर	1
3	अशोकनगर	1
4	अलीराजपुर	1
5	सिवनी	1
6	सिंगरौली	1
7	मण्डला	1
8	डिण्डोरी	1
9	उमरिया	1
	कुल	**10**

परिशिष्ट–6

संविदा नेत्र सहायक के रिक्त स्वीकृत पदों का जिलेवार विवरण

सं.क्र.	जिला	रिक्त पद संख्या
1	बड़वानी	1
2	अनूपपुर	2
3	अशोकनगर	2
4	अलीराजपुर	2
5	झाबुआ	2
6	सिंगरौली	2
7	मण्डला	2
8	डिण्डोरी	2
9	उमरिया	1
10	सीधी	2
11	हरदा	2
	कुल	**20**

परिशिष्ट–7

संविदा नेत्रदान सलाहकार के रिक्त स्वीकृत पदों का जिलेवार विवरण

सं.क्र.	जिला	रिक्त पद संख्या
1	भोपाल	1
2	इन्दौर	1
3	ग्वालियर	1
4	जबलपुर	1
5	रीवा	1
6	सागर	1
7	उज्जैन	1
	कुल	**7**

संविदा डाटा एण्ट्री ऑपरेटर के रिक्त स्वीकृत पदों का जिलेवार विवरण

कंमाक	जिले का नाम	कुल संख्या
1	भोपाल	1
2	हरदा	1
3	बैतूल	1
4	होशंगाबाद	1
5	रायसेन	1
6	सीहोर	1
7	विदिशा	1
8	राजगढ	1
9	सागर	1
10	छतरपुर	1
11	दमोह	1
12	टीकमगढ	1
13	पन्ना	1
14	इन्दौर	1
15	बड़वानी	1
16	झाबुआ	1
17	बुरहानपुर	1
18	धार	1
19	खरगोन	1
20	खण्डवा	1
21	अलीराजपुर	1
22	जबलपुर	1
23	कटनी	1
24	डिण्डोरी	1
25	बालाघाट	1
26	छिंदवाड़ा	1
27	मण्डला	1
28	नरसिंहपुर	1
29	.सिवनी	1
30	रीवा	1
31	सतना	1
32	सिंगरौली	1
33	सीधी	1
34	उमरिरया	1
35	शहडोल	1
36	अनुपपूर	1
37	उज्जैन	1
38	मंदसौर	1
39	नीमच	1
40	रतलाम	1
41	शाजापुर	1
42	देवास	1
43	ग्वालियर	1
44	दतिया	1
45	श्योपुर	1
46	अशोकनगर	1
47	भिण्ड	1
48	गुना	1
49	मुरैना	1
50	शिवपुरी	1
	कुल	50

परिशिष्ट–9

संविदा पदों हेतु मासिक मानदेय राशि का विवरण

क्र.	संविदा पद का नाम	स्वीकृत संविदा पद संख्या	* प्रस्तावित मासिक मानदेय राशि (रू.)
1	नेत्र सर्जन **(Ophthalmic Surgeons)**	10	60,000
2	नेत्र सहायक **(Paramedical Ophthamic Assistants)**	20	12,000
3	नेत्र दान सलाहकार **(Eye Donation Counselors)**	7	15,000
4	डाटा एण्ट्री ऑपरेटर **(Data Entry Operators)**	50	8,000

परिशिष्ट–10

संविदा नेत्र सर्जन के कार्यदायित्व

1) To perform all kinds of ophthalmic surgeries.
2) To listen with medical, nursing and other personnel in all matter related to eye.
3) To coordinate and paericipate in training of health personnel on eye related activities at district level.
4) To participate in ophthalmology department meetings 5. To coordinate and maintain liaison with different stakeholders including education, social welfare, development/NGO sector for promotion of eye care services.
5) Any other as assigned by supervisor.

परिशिष्ट–11

संविदा नेत्र सहायक के कार्यदायित्व

1) To screen patients for contaract and other minor surgical cases and bring them to the base hospital/district hospital.
2) Refractive services to all the patients.
3) Report to the District ophthalmic surgeon/District programme manager and perform duties as assigned by them.
4) Maintain records and send regular report to supervisor.
5) To coordinate and participate in training of health personnel on eye care activities.

परिशिष्ट–12

संविदा नेत्र दान सलाहकार के कार्यदायित्व

1) To liaison with medical, nursing and other personnel in all matter related to eye donation.

2) Motivate and counsel the family/attendants of the deceased for eye donation after death in words/casualty/mortuary/ICU of health institution.

3) Actively participate in eye donation awareness fortnight/other information, education and communication [IEC] activities.

4) Maintain records and send regular reports to supervisor.

5) To coordinate and participate in training of health personnel on eye banking activities.

6) To participate in ophthalmology department meetings.

7) To coordinate and maintain liaison with different stakeholders including education, social welfare, development/NGO sector for promotion of eye donation/eye care services.

8) Any other as assigned by supervisor.

<u>समय सारणी</u>

क्रं..	**गतिविधियां**	**तिथि**
1.	**विज्ञापन प्रकाशन**	**दिसंबर,** 2013
2.	**ऑनलाइन आवेदन किया जाना**	31 **दिसंबर, 2013 से** 14 **जनवरी, 2014 तक**
3.	ऑनलाईन काउंसलिंग की प्रक्रिया	आवेदन प्राप्ति से सतत
4.	एम.पी.ऑनलाईन द्वारा आवेदकों की चयन सूची की तिथि	**जनवरी,** 2014
5.	प्रमाण पत्रों का सत्यापन एवं चयनित आवेदकों की पदों पर नियुक्ति की संभावित तिथि	**जनवरी,** 2014

ऑनलाइन आवेदन भरने संबंधी महत्वपूर्ण जानकारीः-

ऑनलाइन आवेदन एमपीआनलाइन की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेंगे। आवेदक द्वारा फार्म ऑनलाइन भरकर **परीक्षा शुल्क 300/- रुपये** का नगद भुगतान एमपीऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क एवं सीएससी के माध्यम से नगद किया जा सकता है या आवेदक शुल्क का भुगतान क्रेडिट/डेबिट कार्ड/इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं। एमपीआनलाइन के अधिकृत कियोस्क एवं सीएससी की सूची के लिये https://www.mponline.gov.in पर Authorized Kiosk list link देखें।

इंटरनेट कैफे या स्वयं घर बैठे कम्प्यूटर द्वारा इंटरनेट के माध्यम से आवेदन फार्म भरने की विधिः- आवेदक https://www.mponline.gov.in वेबसाइट के माध्यम से होम पेज पर क्लिक करें। इसके उपरांत Citizen Services link को क्लिक करें। अब उसे Application में क्लिक करने पर NRHM दिखाई देगा, इसे क्लिक करने पर निम्न लिंक दिखाई देंगी।

Click here to Online Apply
Pay for unpaid Application

इसके उपरात ही आवेदक **Click here to Online Apply को** क्लिक करें। इसके उपरांत आवेदक को स्क्रीन पर फार्म दिखाई देगा। आवेदक को फार्म में मांगी गईं समस्त जानकारियां सही-सही भरना अनिवार्य है। **आवेदक ऑनलाइन फार्म भरने से पहले बेवसाइट** पर में दी गई समस्त जानकारी और शर्तों को अच्छी तरह पढ़ लें। आवेदक को फार्म पृष्ठ पर नीचे की ओर एक बटन **Browse** दिखाई देगा। इसमें आवेदक को अपना फोटो.हस्ताक्षर सहित अटैच करना है। इस बटन के नीचे आवेदक को फोटो.हस्ताक्षर के प्रारूप हेतु लिंक पर क्लिक करे। क्लिक करने पर फोटो हस्ताक्षर के फार्मेट का प्रिंट लेकर उचित स्थान पर फोटो चिपकाकर उसके नीचे हस्ताक्षर करें। इसके उपरांत उक्त फार्मेट को स्कैन कर **jpg** या **gif** फार्मेट में ही सेव करें। अब आवेदक **Browse** बटन क्लिक करें इसके उपरांत जिस डायरेक्ट्री में आवेदक ने अपना फोटो हस्ताक्षर स्कैन कर सेव किया है। उस डायरेक्ट्री से अपना फोटो, हस्ताक्षर सिलेक्ट कर अटैच करे।

आवेदक फार्म को पूर्ण रूप से भरने के बाद उसे अच्छी तरह पढ़ लें और यह सुनिश्चित कर ले कि फार्म में जो भी जानकारी भरी गई हैं वह सही है। यदि फार्म में कोई गलत जानकारी भर दी गई है तो पुनः उसे ठीक कर लें। इसके उपरांत ही **Submit** बटन दबाए। इसके उपरांत आवेदक को एक आवेदन फार्म नंबर प्राप्त होगा। इसके उपरांत आवेदक परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिए **Proceed to Payment** बटन दबाने पर उन्हें परीक्षा शुल्क भुगतान हेतु दो आप्शन दिखाई देंगेः.

1 क्रेडिट कार्ड।
2 इंटरनेट बैंकिंग।

क्रेडिट कार्ड के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतानः. आवेदक किसी भी इंटरनेट कैफे या घर बैठे भी स्वयं प्रथम फार्म भरने संबंधी निर्देश और जानकारियां सावधानीपूर्वक पढ़ ले ताकि मांगी गई समस्त जानकारियां फार्म में सह-सही भरी जा सकें। इसके उपरांत आवेदक कियोस्क संचालक को अपनी समस्त जानकारी उपलब्ध कराकर फार्म भरवा लें। फार्म भरते समय आवेदक का फोटो एवं हस्ताक्षर स्कैन कर उचित स्थान पर अटैच करना अनिवार्य है। फार्म भरने के उपरांत आवेदक फार्म में भरी गईं समस्त जानकारियां पुनः

अच्छी तरह पढ़ लें। आवेदक सभी जानकारियां सही-सही भरी होने के उपरांत ही कियोस्क संचालक को **Proceed to Payment** बटन दबाकर परीक्षा शुल्क का भुगतान करने का कहे। कियोस्क संचालक भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने पर कम्प्यूटराइज्ड रसीद आवेदक को प्रदान करेगा। इस रसीद में परीक्षा शुल्क और पोर्टल शुल्क की पूरी जानकारी अंकित रहेगी। साथ ही आवेदक से संबंधित पूर्ण जानकारी भी रसीद में अंकित होगी।

आवेदक इसे ध्यानपूर्वक पढ़ लें तथा अपने पास संभालकर रखें।

जानकारी की शुद्धता एवं सत्यता का पूरा उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।

यदि आवेदक के पास क्रेडिट कार्ड या नेटबैंकिंग सुविधा उपलब्ध नहीं है तो भरे गये फार्म के परीक्षा शुल्क का कियोस्क के माध्यम से **Pay for unpaid Application** लिंक द्वारा नगद भुगतान कर सकता हैः-

इसके लिए आवेदक को उपरोक्त बताये गये बिन्दु में दर्शाई गई विधि अनुसार फार्म भरने के उपरांत अपने नजदीक में स्थापित एमपीऑनलाइन कियोस्क पर जाकर अपना आवेदन क्रमांक एवं अपनी जन्मतिथि बताना होगा। इसके उपरांत कियोस्क संचालक **Pay for unpaid Application** Link में उक्त जानकारी भरकर फार्म ओपन कर लेगा। इसके उपरांत **Proceed to Payment** बटन दबाकर परीक्षा शुल्क का भुगतान कर देगा। शुल्क भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने पर कियोस्क संचालक आवेदक को कम्प्यूटराइज्ड रसीद प्रदान करेगा। इस रसीद में परीक्षा शुल्क और पोर्टल शुल्क की जानकारी के साथ आवेदक से संबंधित समस्त जानकारी अंकित होगी।

आवेदक **ऑनलाइन आवेदन** की पावती की प्रति भविष्य के लिए संभाल कर रखे, क्योंकि इसमें आवेदक का विवरण दर्ज है, जिसका उपयोग आवेदक ऑनलाइन प्रवेश पत्र प्राप्त करने हेतु कर सकते हैं।

ऐसे आवेदन स्वीकार नहीं किये जावेंगे जिन्हें ऑनलाइन भरने के बाद प्रिंट लेकर एमपीऑनलाइन को डाक के माध्यम से भेजा जायेगा पोर्टल शुल्क के लिये किसी भी प्रकार का बैंक ड्राफ्ट भी स्वीकार नहीं किया जावेगा, ऐसे आवेदनों के मान्य न करते हुए निरस्त कर दिये जावेंगे और उसकी जवाबदारी आवेदक की मानी जावेगी।

चयन उपरांत जिलों का आवंटन

उपलब्ध पदों के अनुसार आवेदक का मेरिट के आधार पर चयन होने पर उसके द्वारा दी गई जिलों की प्राथमिकता क्रम के आधार पर ही नियुक्ति प्रदान की जावेगी। **आवेदक को कम से कम 10 जिलों की प्राथमिकता का चयन करना अनिवार्य है। आवेदक चाहे तो सभी जिलों की प्राथमिकता भर सकता है।**

आवेदक का मेरिट के आधार पर चयन होने पर उसके द्वारा भरे गये जिलों की प्राथमिकता के आधार पर ही उसकी नियुक्ति की जावेगी। इसके अलावा अन्य जिले में उसकी नियुक्ति नहीं की जावेगी।

उदाहरण के लिए:- आवेदक **(अ)** द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया गया है। आवेदक का मेरिट के आधार पर चयन हो चुका है। आवेदक द्वारा नियुक्ति के लिये मात्र 20 जिलों को प्राथमिकता दी गई थी, परंतु आवेदक की प्राप्त अंकों के अनुसार इन 20 जिलों में नियुक्ति हेतु प्राथमिकता नहीं आती है तो ऐसी स्थिति में आवेदक का चयन नहीं होगा।

अतः यह ध्यान रखें कि आवेदक अधिकतम जिलों की प्राथमिकता भरें।

नोटः. यदि आवेदकों को ऑनलाइन फार्म भरने में कोई समस्या आती है एवं किसी भी कियोस्क या सीएससी द्वारा परीक्षा शुल्क की राशि 300/- से अधिक की मांग की जाती है तो नीचे दर्शाये दूरभाष नंबरों पर शिकायत करेः- 0755-4019401-10